सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का उद्देश्य	1
3	संरचना	1–2
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	2
5	कार्य प्रणाली	2–3
6	कार्मिकों का चयन	3–4
7	मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	4
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान	4–5
9	पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण	5–6
10	चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2020 से 31.12.2020) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण	7
11	आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	7–11
12	सार संक्षेप	11
13	प्रशासनिक संरचना (सारणी–1)	12
14	पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2020 तक (सारणी–2)	13
15	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी–3)	14

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21

1. *प्रस्तावना*

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निदेशालय का गठन राजस्व के समस्त स्त्रोतों (Sources) पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना (Tax Evasion) को रोकने हेतु किया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं।

2. *उद्‌देश्य*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्‌देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अंतरराज्यीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. *संरचना*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय है जो वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में निदेशालय में 2 पद अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों के हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में क्रमशः दो–दो पद वाणिज्यिक कर अधिकारी, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार, मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, निजी सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के हैं। तीन–तीन पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक सहकारिता एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा) के हैं। एक–एक पद वित्तीय सलाहकार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उपविधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोगामर, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रोगामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II, निजी सचिव, सहायक

खनि अभियन्ता, फोरमेन, खनिज सर्वेयर, खनिज रक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक भू–अभिलेख, वरिष्ठ सहायक एवं पटवारी का है। कर सहायक के 5, कनि. सहायक के 2, वाहन चालक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद भी सृजित है।

निदेशालय में पदस्थापित वाणिज्यिक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी एवं तहसीलदार का पदनाम राजस्व आसूचना अधिकारी है। निदेशालय का संगठन चार्ट एवं निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी–1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

विभाग में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नही है। विभाग में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। गैर आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि रू. 445.62 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व माह दिसम्बर, 2020 तक राशि रू. 326.62 लाख का व्यय किया गया। आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि रू. 0.87 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व माह दिसम्बर, 2020 तक राशि रू. 0.86 लाख का व्यय किया गया।

5. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत् रखते हुऐ निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय को कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी sdri@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय–समय पर राज्य स्तरीय हिन्दी दैनिक अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है। इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय को प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. को एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम

द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता है। सामान्यतः पी.आई.आर. प्राप्ति तिथि को ही निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर अपडेट कर दी जाती है तथा सृजित पी.आई. आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है। दर्ज की गई पी.आई. आर. का वर्गीकरण सामान्य अथवा महत्त्वपूर्ण श्रेणी में निदेशालय स्तर पर किया जाता है। कुछ पी.आई.आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति की होती हैं, उनमें निदेशालय अपने स्तर पर विस्तृत जॉच की कार्यवाही करता है। शेष पी.आई.आर. संबन्धित विभागों में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन भिजवा दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही की सूचना कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ही निदेशालय को भिजवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को निदेशालय की वेब साईट प्रयोग हेतु पृथक–पृथक यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, ताकि वे उन्हें प्रेषित की गई पी.आई.आर. पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें तथा की गई विभागीय कार्यवाही से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की वेब साईट को नियमित रूप से अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण पर भी चर्चा की जाती हैं। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई में स्टेटस की जानकारी निदेशालय की वेब साईट को लॉगईन करके देख सकता है।

निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज व निस्तारण करने का कार्य किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

6 कार्मिकों का चयन

राज्य राज़स्व आसूचना निदेशालय राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये हैं।

निदेशालय में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, विधि सेवा के अधिकारी एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रोग्रामर, सूचना सहायक, निजी सचिव एवं निजी सहायक के पदों पर इन नियमों के तहत विशेष चयन

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चयनित व्यक्तियों को निदेशालय में कार्यरत अवधि में उनके मूल वेतन के 15% की राशि का विशेष भत्ता भी देय है। निदेशालय में गठित पदों पर अधिकारियों का चयन इन नियमों के तहत किया गया है।

7. मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कर अपवंचना की सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये, आमजन को कर अपवंचना की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये एक स्कीम ''Grant of Reward to Informer and Government Servants Scheme, 2017" बनाई गई है। इस योजना के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करवाई गई सूचना के महत्व के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि सूचनादाता की सूचना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व राशि का अधिकतम 12 प्रतिशत तक अथवा प्रति प्रकरण अधिकतम 25.00 लाख रू. तक जो भी कम है निर्धारित की गई है। यह राशि उन प्रकरणों में ही देय है जहॉं राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व की राशि रू. 2.00 लाख या इससे अधिक होगी। स्कीम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

इस स्कीम के तहत् राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगी, जिनका राजस्व वंचना के प्रकरणो को उजागर करने में विशिष्ट योगदान होगा एवं इस तरह के प्रकरणो मे अविवादास्पद राजस्व प्राप्ति एक करोड रू. या अधिक होगी। व्यक्तिशः यह राशि एक प्रकरण में अधिकतम रू. 50,000/— एवं टीम के रूप में कार्य करने पर टीम को अधिकतम प्रति प्रकरण रू. 2.00 लाख तक होगी। इस प्रकार से दी गई राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के संपूण सेवा काल में अधिकतम रू. 10.00 लाख तक सीमित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशालय द्वारा दिसम्बर, 2020 तक सूचनादाताओ को राशि रू. 0.51 लाख की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा करापवंचना के संबध में स्वप्रेरणा से अथवा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर जॉंच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का संप्रेषण आमजन के माध्यम से भी होता है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप–धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण

पूर्व तीन वित्तीय वर्षों 2017–20 (दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2020) में 367 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 148 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 1913.90 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 125.41 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.12.2020) में 29 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 105 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 285.72 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 49.66 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2017–20 (दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2020) में 431 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 326 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 260.69 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 56.67 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.12.2020) में 70 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 60 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 20.92 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 7.63 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

निदेशालय में पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2017–20 (दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2020) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.12.2020 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई. आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है–

(राशि रू लाख में)

क. सं.	विभाग का नाम	1.04.2017 से 31.03.2020 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण						1.04.2020 से 31.12.2020 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					
		1.04.2017 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई. आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)	1.04.2020 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई. आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	168	186	126	228	11553.95	4593.29	228	20	20	228	1050.20	592.05
2	परिवहन विभाग	20	41	31	30	334.79	347.23	30	2	9	23	29.97	59.92
3	आबकारी विभाग	6	15	11	10	111.80	35.86	10	1	4	7	0.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	205	133	132	205	13807.07	530.16	205	25	20	210	1009.72	108.91
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	88	44	16	116	261.88	160.45	116	21	4	133	1.93	1.93
6	अन्य	1	12	10	3	0.00	0.00	3	1	3	1	0.00	0.00
	कुल	**488**	**431**	**326**	**592**	**26069.49**	**5666.99**	**592**	**70**	**60**	**602**	**2091.82**	**762.81**
		1.04.2017 से 31.03.2020 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण						1.04.2020 से 31.12.2020 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण					
1	वाणिज्यिक कर विभाग	88	147	31	204	180027.78	10824.63	204	7	6	205	1038.39	446.24
2	परिवहन विभाग	15	41	9	47	202.96	660.77	47	6	3	50	10.14	35.50
3	आबकारी विभाग	2	3	2	3	0.25	152.78	3	1	0	4	550.00	515.30
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	178	173	105	246	7258.50	863.72	246	13	96	163	26973.73	3969.41
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	35	3	1	37	3900.30	39.30	37	2	0	39	0.00	0.00
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	कुल	**318**	**367**	**148**	**537**	**191389.79**	**12541.20**	**537**	**29**	**105**	**461**	**28572.26**	**4966.45**
	समस्त विभाग (पी.आई.आर.+ स्वप्रेरित)	**806**	**798**	**474**	**1129**	**217459.28**	**18208.19**	**1129**	**99**	**165**	**1063**	**30664.08**	**5729.26**

10. *चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2020 से 31.12.2020) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण*

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.03.2020 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.12.2020 तक) कमशः 80 एवं 29 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 114.23 करोड़ तथा रू. 285.72 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 9.62 करोड़ तथा रू. 49.66 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.03.2020 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.12.2020 तक) क्रमशः 144 एवं 70 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 106.88 करोड़ तथा रू. 20.92 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 15.91 करोड़ तथा रू. 7.63 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2019–20 में (01.04.2019 से 31.03.2020 तक) कुल 224 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 221.11 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 25.53 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में (01.04.2020 से 31.12.2020 तक) कुल 99 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 306.64 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 57.29 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलोच्य अवधि में 165 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. *आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल*

(i) <u>वाणिज्यिक कर विभाग</u>

राज्य की कुछ फर्मो के द्वारा बोगस बिल जारी किये जाने संबंधित एक प्रकरण का अनुसंधान किया गया जिसमें 930 करोड़ रूपये के बोगस बिल जारी किये जाने पाये गये। जिसमें 180 करोड़ रूपये की अविधिक आईटीसी क्लेम की गई।

राज्य के प्रमुख सीमेन्ट विनिर्माता कम्पनीयों द्वारा एचडीपीई बैगस पर प्रवेश कर नहीं चुकाये जाने संबंधित प्रकरण को उजागर किया गया जिसमें चालू वर्ष में राशि रूपये 6.29 करोड़ की मांग कायम की जाकर लगभग 4 करोड़ रूपये की नगद वसूली की गई।

सैटटॉप बॉक्स की बिक्री पर करापवंचन संबंधित प्रकरण उजागर किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष में राशि रूपये 3.92 करोड़ की मांग कायम की गई।

राज्य के कुछ खननकर्ताओं द्वारा राज्य के बाहर से खनन के उपयोग में आने वाले वाहनों पर प्रवेश कर नहीं चुकाये जाने संबंधित प्रकरण को उजागर किया जिसमें राशि रूपये 2.11 करोड़ की मांग राशि कायम की गई।

राज्य के पान मसाले व्यवहारी द्वारा पान–मसाले की बिक्री पर करापवंचन किये जाने से संबंधित प्रकरण को उजागर किया गया जिसमें चालू वर्ष में राशि रूपये 2.43 करोड़ की नगद वसूली की गई।

(ii) <u>परिवहन विभाग</u>

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के ई–वे बिलों के आधार पर ऐसे वाहनों की पहचान की गई जो कि यात्री वाहन है तथा व्यवसायिक रूप से माल लाने ले जाने में प्रयुक्त हो रहे है। ऐसे निजी यात्री वाहनो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये एवं विस्तृत रिपोर्ट बना कर परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। प्रकरणों में 61.91 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

निदेशालय द्वारा राज्य में सड़क निमार्ण कार्य में लगे बिना कर चुकाये संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें एच.जी. इन्फ्रा लिमिटेड, मैसर्स आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स लिमिटेड, सी.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, परनीका कॉमर्शियल एण्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सरस्वती कन्सट्रक्शन, जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, के.सी.सी. बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पटेल इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. आदि के वाहन शामिल है। इन प्रकरणों में लगभग 2.25 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

निदेशालय द्वारा बीकानेर में वी.एस. लिग्नाइट पॉवर प्रा.लि. के पॉवर प्लांट एवं मै0 रिन्यू पॉवर वेन्चर्स प्रा. लि. के सोलर प्लांट में नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इन प्रकरणों में लगभग 55 लाख रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 08 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 1 ओवरलोड संचालित वाहनों से संबंधित, 1 अन्य राज्य में पंजीकृत बिना कर चुकाये संचालित लग्जरी कार से संबंधित, 1 बिना कर चुकाये संचालित बस से संबंधित, 1 मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लि. के प्लांट में नियम विरूद्ध संचालित वाहनों से संबंधित, 3 विभिन्न रोड व अन्य कन्सट्रेक्शन कार्यो से संबंधित कम्पनियों में संचालित अवैध वाहनों से सम्बन्धित है। इस वर्ष में पुराने बकाया प्रकरणों मे से कुल 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कुल राजस्व रू. 95.42 लाख प्राप्त हुआ।

निदेशालय द्वारा खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में जारी ई–रवन्ना के आधार पर खनिज परिवहन में लिप्त ओवरलोड वाहनों की पहचान कर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में 3626.38 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

निदेशालय द्वारा राज्य में सड़क निमार्ण कार्य, खनन कार्य में लगे बिना कर चुकाये संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें मैसर्स के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि., मैसर्स नोखा मिनरल्स एण्ड कन्सट्रेक्शनस एल.एल.पी., मैसर्स राजश्यामा कन्सट्रेक्शन प्रा.लि. आदि के वाहन शामिल है। इन प्रकरणों में लगभग 25.00 लाख रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

निदेशालय द्वारा रास (पाली) में मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लि. के प्लांट में नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस प्रकरण में लगभग 10.00 लाख रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

(iii) <u>पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग</u>

अनुसूचित बैंको द्वारा राज्य के 7 प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण के तहत कन्सोर्टियम लोन एग्रीमेन्ट आदि पर लगभग रू. 24.21 करोड़ की राशि के मुद्रांक शुल्क अपवंचना के प्रकरण बनाये गये।

इसी प्रकार पूर्व में बनाये गये एक प्रकरण में अनुसूचित बैंको द्वारा एक फर्म/कम्पनी को दिये गये ऋण के तहत कन्सोर्टियम लोन एग्रीमेन्ट आदि पर मुद्रांक शुल्क अपवंचना (ब्याज एवं शास्ती सहित) राशि रू. 214.85 करोड़ की मांग कायम की गई।

कंपनियो के समामेलन, अधिग्रहण एवं मर्जर से संबंधित स्टाम्प शुल्क अपवंचना के चार महत्वपूर्ण प्रकरण बनाये गये जो निम्नानुसार है:—

I. एक कम्पनी द्वारा अन्य कम्पनी के अधिग्रहण जो करीब राशि रू. 8207 करोड़ था तथा एक कम्पनी का अन्य कम्पनी में समामेलन जो कि राशि रू. 9038.7 करोड़ का था एवं एक कम्पनी का अन्य कम्पनी के साथ मर्जर पर देय स्टाम्प शुल्क अपवंचना के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया। उपरोक्त तीनों संव्यवहारों पर राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पत्तियां, सीमेण्ट प्लान्ट, माइनिंग लीज इत्यादि के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क की देयता का निर्धारण करने हेतु प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय नोडल अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को भिजवाया गया।

II. इसी प्रकार एक कम्पनी द्वारा अन्य कम्पनी के अधिग्रहण के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क अपवंचना के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया, नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय नोडल अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को भिजवाया गया।

III. कम्पनियों के मर्जर/डीमर्जर के संबंध में स्टाम्प शुल्क की देयता का निर्धारण करने हेतु **दो प्रकरण** दर्ज कर नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय नोडल अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को भिजवाया गया।

एक कम्पनी के विरूद्ध संबंध में औद्योगिक भूमि के हस्तातंरण पर स्टाम्प अपंवचना के प्रकरण में राशि रू. 1.73 करोड़ की मांग कायम की जाकर वसूली की गई।

एक कम्पनी के विरूद्ध द्वारा डवलपर एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क के प्रकरण में राशि रू. 5.33 करोड़ की मांग कायम की जाकर राशि रू. 1.39 करोड़ रू. की वसूली की गई।

पूर्व में बनाये गये एक सीमेण्ट कम्पनी के विरूद्ध ऋण दस्तावेजों को पंजीयन नहीं किये जाने के मुद्रांक शुल्क अपवंचना के प्रकरण मे राशि रू. 2.26 करोड़ की मांग कायम की जाकर राशि रू. 73.52 लाख की वसूली की गई।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मर्जर (समामेलन) पर स्टाम्प शुल्क अपवंचना के 4 प्रमुख प्रकरण बनाये गये जिनमें अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

(iv) खान एवं भू–विज्ञान विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में धौलपुर, मकराना, राजसमन्द, पाली, झुन्झुनू, बाड़मेर व बून्दी जिलें में अवैध खनन व राजस्व चोरी की शिकायतें दर्ज की गई। राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ की शिकायत के आधार पर राज्य की सीमाओं से बाहर जाने को प्रतिबन्धित खनिज फेल्सपार को अन्य नामों से राज्य के बाहर अवैध रूप से भेजा जा रहा था जिससे सम्बन्धित पी.आई.आर. में लगभग 50 करोड़ के राजस्व वसूली की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 34.11 लाख के राजस्व की वसूली की गई।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक बीकानेर, नागौर, पाली, उदयपुर, करौली, अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा एवं बूंदी जिलें में जांच की कार्यवाही के आधार पर एवं स्वप्रेरित प्रकरण पर कुल 18 पीआईआर दर्ज की गई।

हिन्दूस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रधान खनिजों में सह–उत्पाद के रूप में सिल्वर एवं केडमियम की मात्रा वास्तविक मात्रा से कम दिखाए जाने से होने वाली सम्भावित राजस्व हानि के लिए एक पीआईआर दर्ज की गई। जिस पर राज्य सरकार को लगभग रू. 2500 करोड़ की राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है।

राजस्थान राजस्व आसूचना निदेशालय के नेतृत्व मे खान विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नागौर एवं पाली जिले में मेसेनरी स्टोन एवं लाईम स्टोन के अवैध खनन की जांच की गई। जिसमें निदेशालय द्वारा लगभग रू. 250 करोड़ के राजस्व वसूली हेतु खान विभाग को अनुशंषा की गई।

बीकानेर के किलचु देवडान क्षेत्र में सड़क निर्माता कम्पनी के साईट ऑफिस पर की गई संयुक्त जांच कार्यवाही में खनिजों की रॉयल्टी व वाहनों के बकाया टैक्स की कर अपवंचना से संबंधित कई अनियमितताएं सामने आई है। जिसमें राज्य सरकार को राशि रू. 2.5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रू. 48.53 लाख के राजस्व की वसूली की गई है।

(v) आबकारी विभाग

निदेशालय की आबकारी शाखा में वित्तीय वर्ष 2019–20 में 6 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 4 प्रकरण बंद/निस्तारित किये गये। वर्ष 2019–20 के अंत में 13 प्रकरण लम्बित पाये गये। वर्ष 2019–20 में रू. 5.64 लाख का राजस्व वसूल किया गया।

निदेशालय की आबकारी शाखा में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 4 प्रकरण बंद/निस्तारित किये गये। वर्ष 2020–21 के अंत में 11 प्रकरण लम्बित है। वर्ष 2020–21 में रू. 328.39 लाख का राजस्व वसूल किया गया।

जिला बांसवाडा में अवस्थित स्टारलाईट ब्रुकेम लि0 (नारंग डिस्टलरी) का एसडीआरआई की टीम ने परिवाद के आधार पर निरीक्षण करने पर स्प्रिट व ब्लेण्ड के स्टॉक में अन्तर प्राप्त होने पर मौके की कार्यवाही कर मूल निरीक्षण फर्द जिला आबकारी, बांसवाडा को

डीएनओ, आबकारी के माध्यम से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाकर मौके पर मिली एलपीएल के अन्तर की डयूटी की फलावट कर वसूली हेतु पत्र लिखा। इस प्रकरण में इकाई से रू. 5.64 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के आबकारी शुल्क में अतिरिक्त आबकारी डयूटी को 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया गया है जो 01 अप्रेल, 2019 से वसूलनीय है साथ ही दिनांक 01 जुलाई, 2019 से बीयर में अतिरिक्त आबकारी शुल्क में पुनः वृद्धि कर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया तथा 06 अगस्त, 2019 को भारत निर्मित विदेशी मदिरा में भी अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि कर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया। उक्त वृद्धि के कारण तत्कालीन तारीखों में रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी के पास उपलब्ध ब्रांडवार स्टॉक पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी के अन्तर राशि देय है। उपरोक्त संबंध में विभागीय डेटा का विश्लेषण कर रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण निदेशालय स्तर पर जिलें वार किया गया है जो कुल रू. 12.98 करोड बनती है। डेटा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि कुछ रिटेल अनुज्ञाधारियों पर देय राशि प्रथम दृष्टया असंगत प्रतीत होती है। संभवतः यह विसंगति रिटेल ऑन अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विभागीय मॉडयूल में ऑनलाईन स्टॉक फीडिंग में हुई त्रुटि के कारण तथा समय पर बिक्री डेटा फीड नहीं करने के परिणामस्वरूप देय अतिरिक्त आबकारी डयूटी की राशि बहुत अधिक बन रही है जो इन अनुज्ञाधारियों की कुल वार्षिक टर्नओवर की जांच से भी परिलक्षित होती है। अतः इस विसंगति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संबंधित अनुज्ञाधारियों के मेन्युअल रिकार्ड से मिलान करने के उपरांत जांच कर वास्तविक अन्तर राशि की गणना के पश्चात देय अतिरिक्त आबकारी डयूटी जो कि रू. 5.50 करोड बनती है, की वसूली जिला आबकारी अधिकारी स्तर से की जानी है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आबकारी आयुक्त, उदयपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी गयी। इस प्रकरण में विभिन्न जिलों से रू. 3.15 करोड का राजस्व दिनांक 15.12.2020 तक प्राप्त हुआ।

<u>उल्लेखनीय कार्य</u>

निदेशालय की परिवहन शाखा द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हुये स्वप्रेरित प्रकरण में वाणिज्यिक कर विभाग के ई–वे बिलों के आंकडो के विश्लेषण के आधार पर ऐसे वाहनों की पहचान की गई जो कि यात्री वाहन है तथा व्यावसायिक रूप से माल लाने ले जाने में प्रयुक्त हो रहे है। ऐसे निजी यात्री वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं विस्तृत रिपोर्ट बनाकर परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

12. ***सार संक्षेप***

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महत्ती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

सारणी–1

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

प्रशासनिक संरचना

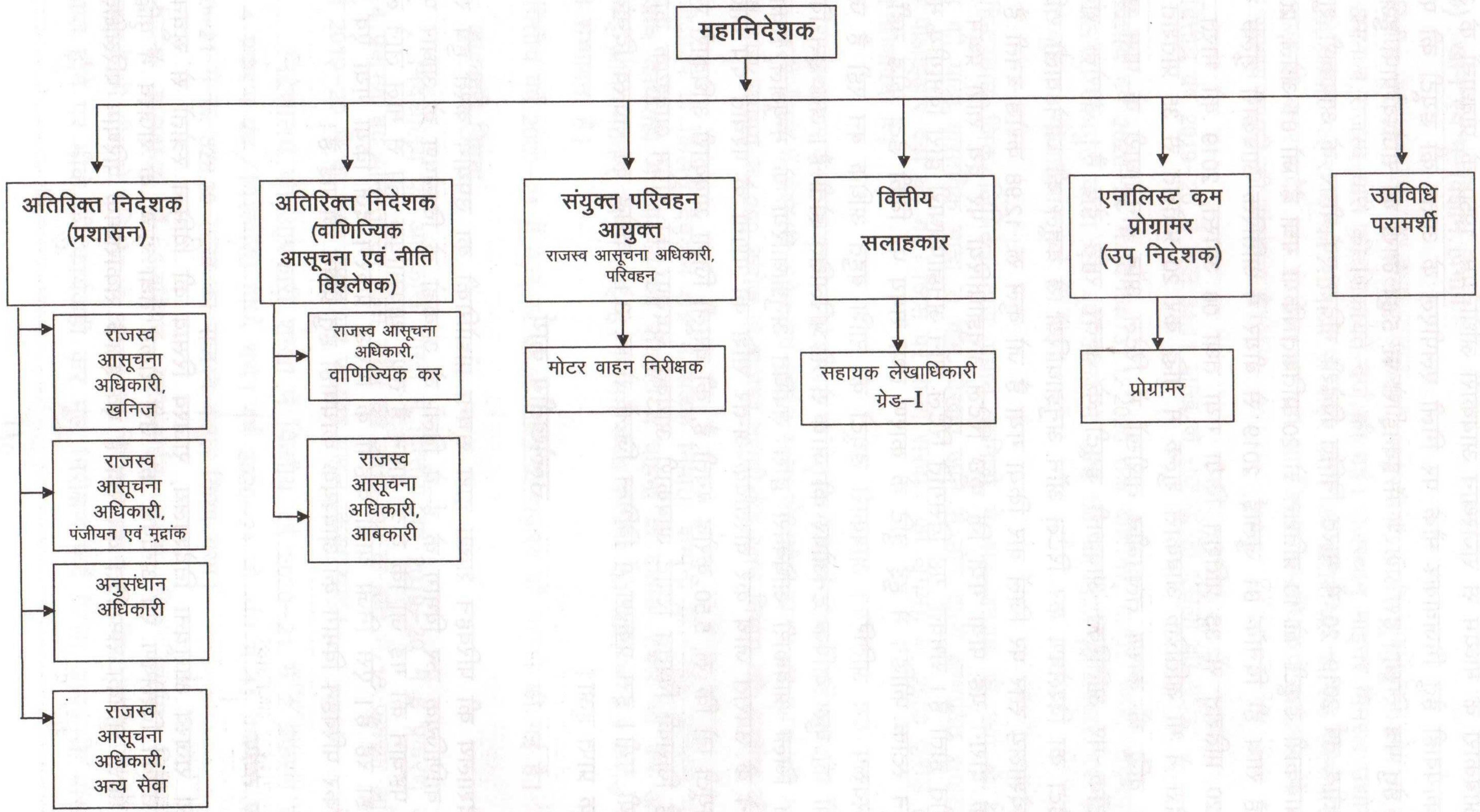

सारणी – 2

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 31.12.2020 तक की स्थिति

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	महानिदेशक	1	1	-
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	1	-
3.	वित्तीय सलाहकार	1	-	1
4.	अतिरिक्त निदेशक, (वाणिज्यिक कर)	1	1	-
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2	2	-
6.	सहा.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	2	1
7.	कनि.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	2	1
8.	कर सहायक	5	2	3
9.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	1	1	-
10.	मोटर वाहन निरीक्षक	2	2	-
11.	मोटर वाहन उपनिरीक्षक	2	-	2
12.	जिला आबकारी अधिकारी	2	1	1
13.	आबकारी निरीक्षक	2	1	1
14.	खनि अभियन्ता	2	-	2
15.	सहायक खनि अभियन्ता	1	-	1
16.	माइनिंग सर्वेयर	1	-	1
17.	फोरमेन	1	-	1
18.	खनिज रक्षक	1	-	1
19.	तहसीलदार	2	-	2
20.	निरीक्षक भू–अभिलेख	1	1	-
21.	पटवारी	1	-	1
22.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	-
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	-
24.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	-
25.	प्रोग्रामर	1	1	-
26.	सहायक प्रोग्रामर	2	2	-
27.	निजी सचिव	1	1	-
28.	निजी सहायक	2	2	-
29.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-
30.	उपविधि परामर्शी	1	-	1
31.	निरीक्षक सहकारिता	3	1	2
32.	सहा. कार्यालय अधीक्षक	1	-	1
33.	वरि. सहायक – I	1	1	-
34.	कनि. सहायक – II	2	2	-
35.	वाहन चालक	3	3	-
36.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	6	0
37.	राजस्व आसूचना अधि. (अन्य सेवा)	3	2	1
	कुल योग	66	42	24

सारणी – 3

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर		
			ऑफिस	घर	मोबाईल नं.
1.	श्री आनन्द स्वरूप (आई.आर..एस.)	महानिदेशक	2744781	2744755	9602836316
2.	श्रीमती पूनम प्रसाद सागर (आर.ए.एस.)	अति. निदेशक (प्रशासन)	2741087	2354070	9829061670
3.	श्री आदर्श लोहिया	अति. निदेशक, कर	2744841	2357104	9929310018
4.	श्री विनोद कुमार	संयुक्त परिवहन आयुक्त			9414037212
5.	श्री दिनेश कुमार विजय	ए.सी.पी.			9414255201
6.	श्री राजेश असवाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)		2235404	9414349414
7.	श्रीमती जया तलदार	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			8562054691
8.	श्री संजीव चौधरी	आर.आई.ओ. (आबकारी)			9414048835
9.	श्री योगेश कुमार बैरवा	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			9413002879
10.	श्री संजीव गुप्ता	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			8003099901
11.	श्री अरविन्द राव	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9460764828
12.	श्रीमती कुमुद पालीवाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9414454510
13.	श्री मोहम्मद इरफान	अनुसंधान अधिकारी			9784806532
14.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक			9782363860
15.	श्री विपुल व्यास	मोटर वाहन निरीक्षक			9413341717
16.	श्री गगन पाण्डे	निरीक्षक सहकारिता			9413842693
17.	श्री सुरेश तिवाड़ी	प्रोग्रामर			9462064965
18.	श्री सुभाष चन्द जैन	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–I			9828470939
19.	श्री दाताराम वर्मा	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–II			9461047397

PABX - 2744963/Toll Free No. 1800 180 6292
Fax No. 0141-2744841

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

डी–ब्लॉक, भूतल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

ई मेल sdri@rajasthan.gov.in

फैक्स नंबर 0141–2744841

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर